झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1332 वर्ष 2017

मीना मिश्रा, पत्नी–स्वर्गीय बिरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी–129, आई0डी0 अस्पताल, चंदकुइयाँ, डाकघर–झरिया, थाना–झरिया, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर और थाना–धनबाद, जिला–धनबाद में है।
2. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसका कार्यालय धनबाद, डाकघर एवं थाना–धनबाद, जिला–धनबाद में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :– मैसर्स अभय कुमार मिश्रा और भोला नाथ ओझा, अधिवक्तागण

उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के लिएः– श्री भवेश कुमार एवं रवि कुमार, अधिवक्तागण

02 / 20.03.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2.. याचिकाकर्ता के पति को अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद (संक्षेप में एम0ए0डी0ए0) में नियुक्त किया गया जिसकी मृत्यु दिनांक 22. 01.2015 को सेवाकाल के दौदान हो गई, याचिकाकर्ता की शिकयत है कि उसके दिवंगत पति के सेवानिवृत्ति के बाद बकाया वेतन, भविष्य निधि की राशि, समूह बीमा, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्यूटी, समयबद्ध पदोन्नति के बकाया, महंगाई भत्ते, महंगाई भत्ते के अंतर के बकाया, क्षेत्रीय

भत्ते, अंतरिम राहत के बकाया, छठे वेतन संशोधन के बकाया, संशोधित वेतनमान के अंतर का बकाया, 01.04.2004 से प्रभावी अंतरिम राहत के बकाया, एम0ए0सी0पी0 के लाभ और विलंबित भुगतान में ब्याज और अन्य लाभों आदि का भुगतान याचिकाकर्ता के पति को नहीं किया गया है, हालांकि उसने अभ्यावेदन दिया है जो इस याचिका का अनुलग्नक–2 श्रृंखला है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने विवश होकर अपने शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के कुछ सेवानिवृत्ति बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन नए सिरे से दायर करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद के 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि

यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के बकाये और अन्य सेवा लाभों के कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया राशि के हकदार हैं, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के ऐसे कर्मचारियों पर लागू है।

6. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)